न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 97/2021
दायर दिनांक :– 08.12.2021

अनवान

छोटू पिता रामा उर्फ रामलाल मीणा नि. जालमपुरा तह. जहाजपुर
वादी.....

बनाम

1. कजोड पिता किशना मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
2. मेवाराम पिता किशना मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
3. केली उर्फ केला बेवा किशना मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
4. विजयसिंह पिता प्रेमचन्द मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
5. सोनू पिता प्रेमचन्द मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
6. पसमा देवी पत्नि प्रेमचन्द मीणा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
7. काली पुत्री प्रेमचन्द मीणा नि. बिन्ध्याभाटा पत्नि फोरूलाल मीणा नि. नाथादण्ढ तह. जहाजपुर
8. रणजीत पिता उगमा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा हाल बांडा गांव तह. हिण्डोली
9. रामराज पिता उगमा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा हाल बांडा गांव तह. हिण्डोली
10. सोराज पिता उगमा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा हाल बांडा गांव तह. हिण्डोली
11. धापू पुत्री उगमा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा हाल पत्नि मादूराम मीणा नि. राजपुरा धौड तह. जहाजपुर
12. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

:: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक
श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट वादी

:: निर्णय :: दिनांक 20 .06.2022

वादी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तहसील जहाजपुर में स्थित आराजी नं. 1007 रकबा 0.2995 हैक्टैयर, आ. नं. 1006 दिनांक 0.0162 हैक्टेयर स्थित है। जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 में आराजी खसरा सं. 1007 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 3 केली उर्फ केला का 1/12 व प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पिता किशना मीणा का 1/12 व प्रतिवादी सं. 2 मेवाराम पिता किशना का 1/12 एवं प्रतिवादी सं. 8 से लगायत 11 के पिता उगमा पिता उदा का 1/4 हिस्सा निहित है एवं आराजी खसरा सं. 1006 रकबा 0.0162 हैक्टेयर में प्रतिवादी सं. 1 का 1/96 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/96 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 का 1/96 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता व पति प्रेमचन्द पिता किशना मीणा का 1/96 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 8 से लगायत 11 के पिता उगमा पिता उदा मीणा का 1/24 हिस्सा नियत है। उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 1007, 1006 में से प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता, पति प्रेमचन्द पिता किशना मीणा ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Cnirnav//rider

Scanned with CamScanner

अपना हक व हिस्सा आराजी खसरा सं. 1007 में से 1/4 हक व हिस्सा एवं आराजी खसरा सं. 1006 में से 1/24 हक व हिस्सा को दिनांक 24.08.1995 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादी छोटू पिता रामा मीणा नि. जालमपुरा को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था तथा इसी आराजी खसरा सं. 1007 में से प्रतिवादी सं 8 से 11 के पिता उगमा पिता उदा मीणा ने अपना सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा व आराजी सं. 1006 में से 1/24 हक व हिस्सा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.08.1995 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादी छोटू पिता रामा मीणा नि. जालमपुरा को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया था तभी से उक्त खसरा नम्बरों पर व उक्त हक व हिस्सा पर वादी का कब्जा काश्त निरंतर रूप से चला आ रहा है। परन्तु वादी ग्रामीण क्षेत्र का होने व पंजीकृत विक्रय पत्र की छाया प्रति तात्कालीन पटवार हल्का को देने पर तात्कालीन पटवार हल्का ने कहा की उक्त जमीन तुम्हारें खातेदारी मे दर्ज हो जायेगी इस बात पर विश्वास करके वादी अपने खरीद शुदा कृषि जमीन को काश्त करता चला आ रहा है। परन्तु दिनांक 29.10.2021 को वादी द्वारा उक्त खसरा नम्बरों की जमाबन्दी वास्ते के सी सी लेने हेतु पटवार हल्का के पास गया तो वादी का नाम खरीद सुदा जमीन में नही होने की जानकारी हुई तब खरीद के वक्त की जमाबन्दी निकलवाकर व रजिस्ट्रीयों को लेकर पटवार हल्का के पास गया तो पटवार हल्का ने कहा कि उक्त जमीन को अपने नाम करवाने हेतु श्रीमान के यहां वाद पत्र पेश करने की हिदायत दी। इस कारण वाद पत्र में वर्णित कृषि आराजियात जो वादी द्वारा पंजीकृत दस्तावेज से क्रय की गई मे से प्रतिवादी सं. 1, प्रतिवादी सं. 2 मेवाराम, प्रतिवादी सं.3 केली उर्फ केला, प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पुत्र किशन, प्रतिवादीं. 8 से 11 के पिता उगमा पुत्र उदा मीणा का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री जारी किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। वादी दिनांक 29.10.2021 को के सी सी लेने हेतु पटवार हल्का के पास जमाबंदी की नकल लेने गया तब विक्रय की गई जमीन अपने नाम खातेदरी में दर्ज नहीं होने की जानकारी हुई तथा पुरानी जमाबंदी की नकले निकलवाकर पटवार हल्का से विक्रय की गई कृषि भूमि को अपने नाम करवाने हेतु कहा तो पटवार हल्का ने सक्षम न्यायालय में वाद पत्र पेश करने की हिदायत दी इस कारण वाद हेतु दिनांक 29.10.2021 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। सहखातेदारों के विरूद्व कोई दाद नही चाही गई है। केता प्रेमचन्द पिता किशना मीणा फोत होने से उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 4 से 7 को एवं केता उगमा पिता उदा मीणा फोत होने से उनके विधिक वारिसान प्रतिवादी सं. 8 से 11 को पक्षकार बनाया गया है। एवं प्रतिवादी सं. 12 भूमि हॉल्डर होने से आवश्यक पक्षकारा बनाया गया है। उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी सं. 1007 में से प्रतिवादी सं. 2 मेवाराम, प्रतिवादी सं. 3 केली उर्फ केला, प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पुत्र किशना मीणा, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता उगमा पुत्र उदा मीणा का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर इसकी जगह वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक

उपखण्ड अधिकारी
जालमपुरा (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित कराना फरमावे। तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी सं. 1006 गे मु आचा में से प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पिता किशना मीणा, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता उगमा पिता उदा मीणा का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर इसकी जगह वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित कराये जाने की मांग की।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण बावजुद सुचना के उपस्थित नही होने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी ने वाद पत्र की ताईद में खाता सं. 606 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की प्रति प्रदर्श 1, खाता सं. 606 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की प्रति प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सम्वत 2052 से 2055 की प्रति प्रदर्श 3, खाता सं. 648 की नकल जमाबन्दी सम्वत 2076 से 2079 की प्रति प्रदर्श 4, विक्रय पत्र प्रदर्श 5, विक्रय पत्र प्रदर्श 6 पेश की, जो शामिल पत्रावली है। तथा गवाह बयान में छोटू मीणा, पी डब्ल्यु 1, मेवालाल पी डब्ल्यु 2, फूमाराम पी डब्ल्यु 3, केनपाल पी डब्ल्यु 4 के बयान प्रस्तुत किये गये। जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने बताया की उक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 1007, 1006 में से प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं 4 से 7 के पिता, पति प्रेमचन्द पिता किशना मीणा ने जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा अपना हक व हिस्सा आराजी खसरा सं. 1007 में से 1/4 हक व हिस्सा एवं आराजी खसरा सं. 1006 में से 1/24 हक व हिस्सा को दिनांक 24.08.1995 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादी छोटू पिता रामा मीणा नि. जालमपुरा को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द कर दिया था तथा इसी आराजी खसरा सं. 1007 में से प्रतिवादी सं 8 से 11 के पिता उगमा पिता उदा मीणा ने अपना सम्पूर्ण 1/4 हिस्सा व आराजी सं. 1006 में से 1/24 हक व हिस्सा जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 02.08.1995 को प्रतिफल राशि प्राप्त कर वादी छोटू पिता रामा मीणा नि. जालमपुरा को विक्रय कर कब्जा सिपुर्द किया था तभी से उक्त खसरा नम्बरों पर व उक्त हक व हिस्सा पर वादी का कब्जा काश्त निरंतर रूप से चला आ रहा है। उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी सं. 1007 में से प्रतिवादी सं. 2 मेवाराम, प्रतिवादी सं. 3 केली उर्फ केला, प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पुत्र किशना मीणा, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता उगमा पुत्र उदा मीणा का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर इसकी जगह वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण पारित कराना फरमावे। तथा उक्त वर्णित कृषि भूमि आराजी सं. 1006 गे मु आचा में से प्रतिवादी सं. 1, 2, 3 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पिता किशना मीणा, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता उगमा पिता उदा मीणा का नाम

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with CamScanner

राजस्व रेकार्ड से विलोपित कर इसकी जगह वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने की घोषणात्मक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण किया जाना फरमावे।

मैंने विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी सं. 1007, 1006 में वादी द्वारा जरिये पंजिकृत विकय पत्र से प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता एवं प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता से कय की गई थी। जिसकी ताईद पत्रावली में प्रस्तुत विकय पत्र प्रदर्श 5 एव प्रदर्श 6 से होती हैं। जिसमें वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति से आराजी सं. 1007 में सें 1/4 हिस्सा एवं 1006 में से 1/24 हिस्सा भूमि जरिये विकय विलेख दस्तावेज नं. 495/1995 से कय की गई थी। एंव वादी द्वारा प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता से आराजी सं. 1007 में सें 1/4 हिस्सा एवं 1006 में से 1/24 हिस्सा भूमि जरिये विकय विलेख दस्तावेज नं. 472/1995 से कय की गई थी। इसलिये उक्त विकय विलेख पत्रो अनुसार वादी ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तह0 जहाजपुर की आ0 न0 1007 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 2 से 3 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पुत्र किशना, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता उगमा पिता उदा के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाना उचित है। इसी अनुसार ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर की आ0 न0 1006 रकबा 0.0162 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 से 3 एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पुत्र किशना, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता उगमा पिता उदा के स्थान पर खातेदार घोषित किया जाना उचित है। उपरोक्त विवेचन अनुसार न्यायालय वादी के वाद पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तह0 जहाजपुर की आ0 न0 1007 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 2 से 3 का नाम एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पुत्र किशना, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता उगमा पिता उदा का नाम विलोपित किया जाकर उनके हिस्से में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर की आ0 न0 1006 रकबा 0.0162 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 से 3 का नाम एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पुत्र किशना, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता उगमा पिता उदा का नाम विलोपित किया जाकर उनके हिस्से में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिकी मुर्तिब की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–2 वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 20 .06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

Scanned with CamScanner

डिग्री व मुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी मुकाम –जहाजपुर (भीलवाडा)
ब ईजलास – श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस

अनवान

छोटू पिता रामा उर्फ रामलाल मीणा नि. जालमपुरा तह. जहाजपुर
वादी.....

बनाम

1. कजोड पिता किशना मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
2. मेवाराम पिता किशना मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
3. केली उर्फ केला बेवा किशना मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
4. विजयसिंह पिता प्रेमचन्द मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
5. सोनू पिता प्रेमचन्द मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
6. पसमा देवी पत्नि प्रेमचन्द मीणा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर
7. काली पुत्री प्रेमचन्द मीणा नि. बिन्ध्याभाटा पत्नि फोरूलाल मीणा नि. नाथादण्ढ तह. जहाजपुर
8. रणजीत पिता उगमा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा हाल बांडा गांव तह. हिण्डोली
9. रामराज पिता उगमा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा हाल बांडा गांव तह. हिण्डोली
10. सोराज पिता उगमा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा हाल बांडा गांव तह. हिण्डोली
11. धापू पुत्री उगमा मीणा नि. बिन्ध्याभाटा हाल पत्नि मादूराम मीणा नि. राजपुरा धौड तह. जहाजपुर
12. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

प्रतिवादीगण.....

दावा बावत – 88, 89 आर. टी. ए.
प्रकरण संख्या :– 97/2021

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उदायत व हाजरी श्री छीतर लाल रेगर का मिनजानिब मुदई व श्री .. का मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि .

अतः वादी का वाद पत्र बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाता है कि ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर तह0 जहाजपुर की आ0 न0 1007 रकबा 0.2995 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 2 से 3 का नाम एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पुत्र किशना, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता उगमा पिता उदा का नाम विलोपित किया जाकर उनके हिस्से में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। एवं ग्राम जहाजपुर प. ह. जहाजपुर की आ0 न0 1006 रकबा 0.0162 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 1 से 3 का नाम एवं प्रतिवादी सं. 4 से 7 के पिता पति प्रेमचन्द पुत्र किशना, प्रतिवादी सं. 8 से 11 के पिता उगमा पिता उदा का नाम विलोपित किया जाकर उनके हिस्से में वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पक्षकार खर्चा अपना–2 वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 20 .06.2022

मुहर

(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Scanned with CamScanner